न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 14/270

1. विजय कुमार पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राह्मण निवासी 7–एम–62 महावीर नगर तृतीय दण्डवीर हनुमान की गली, कोटा ।
2. श्रीमती कान्ता धर्मपत्नी स्व0 श्री जगन्नाथ जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं0 7–एम–62 महावीर नगर तृतीय दण्डवीर हनुमान की गली, कोटा ।
3. गायत्री पुत्री जगन्नाथ पत्नी लालचन्द जाति ब्राह्मण झालरा पाटन जिला झालावाड ।
4. सावित्री पुत्री जगन्नाथ पत्नी राधेश्याम श्रृंगी जाति ब्राह्मण निवीस गोबरिया बावडी, कोटा ।
5. राधा बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी शोभाराम जाति ब्राह्मण निवासी महावीर नगर, तृतीय कोटा ।
6. ललता बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी भूपेन्द्र श्रृंगी निवासी रेल्वे स्टेशन कोटा जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. गोविन्द पुत्र प्रभूलाल जाति ब्राह्मण निवासी बूरनखेडी हाल मुकाम राष्ट्रदूत कार्यालय के सामने श्रीपुरा कोटा जिला कोटा ।
2. गोपाल पुत्र प्रभूलाल जाति ब्राह्मण निवासी बजरं लाल जी राठोर का मकान बंजारा कॉलोनी, आदर्श नगर, कोटा ।
3. भारती पुत्री प्रभूलाल पत्नी गोपाल श्रृंगी जाति ब्राह्मण निवी गोपाल किराना स्टोर चारभुजा रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ ।
4. यशोदा बाई धर्मपत्नी स्व0 श्री नारायण जाति ब्राह्मण निवासी बूरनखेडी तहसील, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
5. कैलाश पुत्र नारायण जाति ब्राह्मण निवासी बूरनखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
6. भगवान पुत्र नारायण जाति ब्राह्मण निवासी बूरनखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
7. पप्पू पुत्र नारायण जाति ब्राह्मण निवासी बूरनखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
8. पवित्रा पुत्री नारायण पत्नी परविन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी तकिया किशनपुरा नयागॉव तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
9. मदन लाल पुत्र माधो लाल जाति ब्राह्मण निवासी जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
10. संतोष पुत्री मदन लाल जाति ब्राह्मण निवासी 5 –आई– 33 महावीर नगर, कोटा ।
11. चन्दा पुत्री मदनलाल जाति ब्राह्मण निवासी पंचमुखी बालाजी झालावाड बस स्टेण्ड के पास झालावाड ।
12. चन्द्री बाई पुत्री मथुरा लाल पत्नी गुलाब चन्द श्रृंगी हेड सा0 पंचमुखी बालाजी झालावाड बस स्टेण्ड के पीछे झालावाड ।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हेमेन्द्र सिंह असावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री मनोज कुमार मंत्री, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 30.12.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2014 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188, 53, 54 एवं 89 के अन्तर्गत पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम नूरपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में कुल 04 किता की रकबा 31 बीघा 08 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण कम 01 से 3 के स्व0 पिता प्रभूलाल ने प्रार्थीगण कम 04 के स्व0 पति व अप्रार्थीग कम 05 से 08 के स्व0 पिता नारायण एवं अप्रार्थी कम 09 की स्व0 पत्नी व अप्रार्थीगण कम 10 व 11 की स्व0 माता रामप्यारी एवं अप्रार्थी कम 12 के सम्मिलित खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि है । उक्त भूमि पक्षकारान की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा 1/5 एवं अप्रार्थी कम 01 से 03 का हिससा 1/5 व अप्रार्थी कम 4 से 8 का हिस्सा 1/5 व अप्रार्थी कम 09 से 11 का हिस्सा 1/5 व अप्रार्थी कम 12 का 1/5 हिस्सा निहित है । राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश मृतक प्रभूलाल, नारायण व रामप्यारी के स्थान पर उनके वारिसान अप्रार्थी कम 01 से 11 का नाम दर्ज नहीं किया है । वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी कम 09 से 12 का कोई कब्जा काश्त नहीं है । उक्त भूमि पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण कम 1 से 8 सम्मिलित रूप से हिस्सा बराबर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । इस भूमि के अलावा प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 1 से 8 के खाते एवं कब्जे में कुल 10 किता की रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा भूमि ग्राम झरझनी तहसील बेगू जिला चित्तौडगढ में स्थित है । उक्त भूमि में प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 1 से 8 का हिस्सा 1/3 –1/3 हिस्सा बराबर दर्ज है । उक्त भूमियों का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । अप्रार्थीगण कम 1 से 8 प्रार्थीगण को काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजी मद संख्या 02 में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण के हिस 1/3 पर किसी प्रकार से कब्जा नहीं करें । यदि दौराने वाद अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर कब्जा कर तो उक्त भूमि पर नगद प्रतिभूति कायम की जाकर तहसीलदार रामगंजमण्डी को रिसीवर कायम कर रिसीवर की सुपुदर्गी में दे दी जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 31.10.2014 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2014 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति में जिसमें प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा निहित है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादग्रस्त आराजी इनमिडियो है इसलिए उक्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक था । प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्टगण के पक्ष में है तथा अपीलान्टगण के अधिकारों की रक्षार्थ विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जावे अथवा नगद प्रतिभूति राशि जमा कराने पर काश्त करने का आदेश दिया जाना आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2014 निरस्त फरमाया जवे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि ग्राम नुरपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ममें कुल 04 किता की रकबा 31 बीघा 08 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि में अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा निहित है एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 से 3 का 1/3 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्ट कम 4 से 12 का 1/3 हिस्सा निहित है । राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट खातेदार कृषक दर्ज हैं । इसी प्रकार ग्राम झरझनी तहसील बेगू जिला चित्तौडगढ में कुल 10 किता की 08 बीघा 08 बिस्वा भूमि स्थित है जिसमें भी अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्ट कम 1 से 3 का 1/3 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट कम 4 से 12 का 1/3 हिस्सा निहित है । दोनों ग्रामों के राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स संयुक्त खातेदार अंकित हैं । उक्त आराजीयात का विभाजन नहीं हुआ है तथा विभाजन का वाद विचाराधीन है । रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट को उनके हिस्से की आराजी पर काश्त करने से रोकते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । इस कारण अपीलान्ट के द्वारा अपने हिस्से के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा को प्रार्थना की थी विकल्प में रिसीवर नियुक्त करने अथवा अपने हिस्से की आराजी पर नकद प्रतिभूति की प्रार्थना की थी । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलान्ट के पक्ष में थी इस पर भी प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि आराजी संयुक्त खाते की है और रिसीवर नियुक्त किया जाना कठोरतम व्याधि है । काबिज व्यक्ति को बेदखल कर रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण के द्वारा जो जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमें यह उल्लेख किया गया है कि पारिवारिक विभाजन के अनुसार ग्राम नूरपुरा की आराजी अप्रार्थीगण के कब्जे में है और ग्राम झरझनी की आराजी स्वं जगन्नाथ एवं स्व0 प्रभूलाल को संभलायी थी । आराजी पर कब्जा जो कि ग्राम नूरपुरा में स्थित है उस पर रेस्पोडेन्टगण का है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में एआईआर (एससी) पेज

2097, आरआरडी 1996 पेज 389, आरआरडी 1976 पेज 392, आरआरडी 1989 पेज 143 उद्धरत की ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण के द्वारा जो धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमें यह प्रार्थना की है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को 1/3 हिस्से की भूमि पर काश्त करने दे, इस पर कब्जा नहीं करें पर यदि वाद प्रस्तुती के बाद 1/3 हिस्से पर कब्जा कर ले तो नगद प्रतिभूति कायम कर तहसीलदार, रामगंजमण्डी को रिसीवर नियुक्त किया जावे ।

10. पत्रावली पर संलग्न फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 जिसके अनुसार ग्राम झरझनी जिला चित्तौडगढ में खाता संख्या नया 115 में कुल 10 किता की रकबा 1.82 हैक्टर भूमि जगन्नाथ, प्रभूलाल, रामनारायण पिता मथुरा लाल के संयुक्त खाते में दर्ज है और नकल जमाबन्दी संवत् 2056–58 के अनुसार ग्राम नूरपुरा की आराजी नया खाता संख्या 75 में कुल 04 किता की 31 बीघा 08 बिस्वा आराजी जगन्नाथ, प्रभू, नारायण वल्द मथुरा व रामप्यारी, चन्द्रीबाई पुत्रियॉ धापू बाई बेवा मथुरा के खाते में दर्ज है । वादीगण के द्वारा मद संख्या 02 में वर्णित आराजी को ही विवादित बताया गया है और मद संख्या 02 में ग्राम नुरपूरा तहसील रामगंजमण्डी की आराजी का ही विवरण अंकित है इसमे ग्राम झरझनी की आराजी जो कि जिला चित्तौडगढ में स्थित है के बाबत् कोई सहायता नहीं मांगी है जबकि विभाजन के दावे में समस्त आराजियात को शामिल किया जाना आवश्यक होता है ।

11. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर जो राजस्व रिकॉर्ड संलग्न है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण जो कि जगन्नाथ के वारिस हैं उनका 1/6 हिस्सा निहित है क्योंकि सहखातेदारी की आराजी में जगन्नाथ, प्रभू, नारायण के अलावा रामप्यारी, चन्द्रीबाई पुत्रियॉ और धापू बेवा मथुरा का नाम भी अंकित है । प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जो शजरा पेश किया है उसमें अपनी माता के बारे में कुछ भी अंकित नहीं किया गया है कि वो जीवित है अथवा नहीं और मद संख्या 02 में ग्राम नूरपुरा की आराजी में अपना 1/5 हिस्सा बताया है और सहायता में मद संख्या 02 में वर्णित आराजी में अपना 1/3 हिस्सा बताया है । इस प्रकार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में मद संख्या 10 और मद संख्या 02 में ग्राम नूरपुरा की आराजी में उनके हिस्से के अंकन में विरोधाभास है । राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उनका ग्राम नूरपुरा की आराजी में 1/6 हिस्सा है न कि 1/3 अथवा 1/5 । इन समस्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण त्रुटिपूर्ण है । आराजी संयुक्त खाते में दर्ज है जिसमें प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है । यदि वादी अपीलान्ट आराजी का विभाजन करवाया चाहते हैं तो समस्त आराजी का विवरण अंकित करते हुए विभाजन का दावा पेश कर सकते हैं जबकि इस प्रार्थना पत्र में उनके द्वारा ग्राम झरझनी की आराजी बाबत् कोई सहायता नहीं मांगी है तद्नुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिमसें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2014 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/12/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा